The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 2010/अग्रहायण 1, 1932

No. 23881

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 2010/AGRAHAYANA 1, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2010

आयकर

का.आ. 2819(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2039(अ) तारीख 28 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित, कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1.~(1)~ इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर विवरणी तैयारकर्ता (पहला संशोधन) स्कीम, 2010~ है $\,$ ।
 - (2) ये उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 में,—
- (क) पैरा 2 के उप-पैरा (च) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई व्यक्ति जो धारा 288 की उप-धारा (2) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) या खण्ड (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति है, कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए हकदार नहीं होगा 1;";

(ख) पैरा 11 के उप-पैरा (1) के खण्ड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(xii) यदि वह, स्कीम के पैरा 4 के खण्ड (viii) के अधीन उसे कर विवरणी तैयारकर्ता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) या खण्ड (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति हो जाता है।"

[अधिसूचना संख्यांक 84/2010/फा. सं. 142/16/2010-एसओ (टीपीएल)]

अलका गौतम, अवर सचिव (टीपीएल-IV)

टिप्पण :—कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्यांक का.आ. 2039(अ) तारीख 28 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

4518 GI/2010

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2010

INCOME TAX

S.O. 2819(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 139B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby amends the Tax Return Preparer Scheme, 2006, published *vide* notification number S.O. 2039(E) dated the 28th November, 2006:—

- 1. (1) This Scheme may be called the Tax Return Preparer (First Amendment) Scheme, 2010.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Tax Return Preparer Scheme, 2006,-
 - (a) for the proviso to sub-paragraph (f) of paragraph 2, the following proviso shall be substituted, namely:—
 "Provided that a person being a person referred to in clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of sub-section (2) of Section 288 shall not be entitled to act as Tax Return Preparer;";
 - (b) for clause (xii) of sub-paragraph (1) of paragraph 11, the following shall be substituted, namely:—

 "(xii) if he, after issue of Tax Return Preparer Certificate to him under clause (viii) of paragraph 4 of the Scheme, becomes a person referred to in clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of sub-section (2) of Section 288 of the Act."

[Notification No. 84/2010/F. No. 142/16/2010-SO (TPL)]
ALKA GAUTAM, Under Secy. (TPL-IV)

Note:—The Tax Return Preparer Scheme, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2039(E), dated the 28th November, 2006.